न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 29 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांटगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.हड़मतसिंह पुत्र भारतसिंह
2.खुशालसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत निवासी लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा हाल निवासी सूरा चारणान तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 42 / 2016 बअनवान हड़मतसिंह वगै. बनाम तहसीलदार गिड़ा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचाना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 20.10.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लापुन्दड़ा मलवेचान तहसील गिड़ा में पैतृक खातेदारी की जमीन खसरा संख्या 47 रकबा 30.08 बीघा, खसरा संख्या 71 रकबा 80.19 बीघा, खसरा संख्या 97 रकबा 105.19 बीघा, खसरा संख्या 94 रकबा 0.08 बीघा, खसरा संख्या 96 रकबा .10 बीघा समस्त रकबा 197.14 बीघा आई है। वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आराजी वक्त सेटलमेंट के समय सांवतसिंह उर्फ सोमथसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम दर्ज हुई, वह अविवाहित निःसंतान मृत्यु होने पर उपरोक्त आराजी उसके भाई धुड़सिंह के नाम दर्ज हुई। उक्त धूड़सिंह भी अविवाहित निःसंतान होने एवं उसकी मृत्यु होने के बाद उक्त भूमि का नामांतरकरण राज्य सरकार के पक्ष में खोलकर उक्त सम्पूर्ण आराजी खालसा दर्ज कर दी। वादीगण ने मृतक धूड़सिंह के विधिक वारिसान होने एवं उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी घोषित करने की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का दावा पेश किया। अपीलाधीन आराजी तहसीलदार बाड़मेर के आदेश क्रमांक 123 दिनांक 18.08.1977 को खालसा राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने का आदेश किया, जिस पर नामन्तरकरण संख्या 76 के द्वारा उक्त विवादग्रस्त आराजी राज्य सरकार के खाते में दर्ज कि गई। उतरदातागण ने मनगढत एवं गलत तथ्य के आधार पर मृतक धूड़सिंह के विधिक वारिसान बताते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय में झूठा एवं गलत तरीके से दावा प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंटस को सम्मन भिजवाये गये बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उतरदातागण ग्राम लापून्दड़ा मलवेचान के निवासी नहीं है, और न ही कभी उक्त विवादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त रहा है। उतरदातागण/वादी ग्राम सूरा चारणान तहसील बाड़मेर के निवासी है। उतरदातागण/वादी ने ग्राम पंचायत से जो वारिसान का प्रमाण पत्र लिया है वो भी विधिवत रूप से मान्य नहीं है, उस पर ग्रामसेवक के हस्ताक्षर व सील मोहर नहीं है, उस प्रमाण पत्र के बारे में कोई जांच या सही जानकारी नहीं ली गई। उतरदातागण ने विधिक वारिसान का विधिवत प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, और न ही कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश कर परिक्षण करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गवाहान से प्रतिवादी की जिरह का अवसर नहीं दिया गया। वादीगण के साक्षीगण को न्यायालय में परिक्षित नहीं करवाया गया इस अहम तथ्यों, नियमों को नजरअन्दाज करते हुऐ अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आराजी वक्त सेटलमेंट के समय सांवतसिंह उर्फ सोमथसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम दर्ज हुई, वह अविवाहित निःसंतान मृत्यु होने पर उपरोक्त आराजी उसके भाई धुड़सिंह के नाम दर्ज हुई जो EXP-3 से साबित है। उक्त धूड़सिंह भी अविवाहित निःसंतान होने एवं उसकी मृत्यु होने के बाद उक्त भूमि का नामांतरकरण राज्य सरकार के पक्ष में खोलकर उक्त सम्पूर्ण आराजी खालसा दर्ज कर दी जो EXP-4 से साबित है। EXP-1 जमाबंदी संवत 2067–2070 मौजा लापून्दड़ा मलवेचान किसी भी प्रकार से दावे से संबंधित नहीं है तथा शेष EXP-1 जमाबंदी संवत 2067–2070 मौजा लापून्दड़ा मलवेचान की दो प्रतियां पेश की गई जिसमें आराजी को बिला कब्जा मुमकिन भूमि दर्ज बताया गया। EXP-5 ग्राम पंचायत सूरा चारणान के सरपंच द्वारा दिनांक 12.03.2017 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण भारतसिंह के जिवित पुत्र है इस आशय का वारिश प्रमाण पत्र जारी किया गया। EXP-5 ग्राम पंचायत सूरा चारणान के सरपंच द्वारा दिनांक 30.04.2012 को जारी किया गया जिसमें अंकित किया गया कि ग्राम पंचायत सुरा चारणान के निवासी ओनाड़सिंह पुत्र श्री स्वरूप सिंह, जाति राजपूत के दो पुत्र मोतीसिंह व भारतसिंह थे जिनका देहान्त हो चुका है। मोतीसिंह के वारिश सांवत सिंह उर्फ सोमनाथसिंह व धुड़सिंह थे जिनका ला ओलाद देहान्त हो गया, तथा भारतसिंह के वारिश हड़मतसिंह व खुशालसिंह है जो ग्राम पंचायत सुरा चारणान में निवास करते है। उक्त दस्तावेजात की सत्यता की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से जांच नहीं करवाई गई। उतरदातागण/वादी ग्राम लापून्दड़ा मलवेचान के निवासी नहीं है, उतरदातागण/वादी ग्राम सूरा चारणान तहसील बाड़मेर के निवासी है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात नहीं जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाधीन आराजी पर वादीगण का कभी कब्जा काश्त रहा हो। उतरदातागण/वादी ने ग्राम पंचायत से जो वारिसान का प्रमाण पत्र लिया है वो भी विधिवत रूप से मान्य नहीं है। ग्राम पंचायत को वारिसान का प्रमाण–पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। वारिश घोषित करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात नहीं है जिससे वादीगण का वाद हेतुक बनता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी की खातेदारी मौखिक साक्ष्य के आधार पर दी गई जो न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवाचय भूमि जिस पर वादी/उतरदातागण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादी/उतरदातागण का वाद दस्तावेजात के अभाव में साबित नहीं है इसलिए खारिज करने योग्य ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2016 बअनवान हड़मतसिंह वगै. बनाम तहसीलदार गिड़ा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 मय वाद खारिज की जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

बइजलास श्री अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.

अपीलांटगण		रेस्पोडेंटगण
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा जिला बाड़मेर	बनाम	1.हड़मतसिंह पुत्र भारतसिंह 2.खुशालसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत निवासी लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा हाल निवासी सूरा चारणान तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2016 बअनवान हड़मतसिंह वगै. बनाम तहसीलदार गिड़ा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

—— 0 ——

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 20 अक्टूबर 2021 बहाजरी अधिवक्ता श्री हरीराम चौधरी की तरफ से उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2016 बअनवान हड़मतसिंह वगै. बनाम तहसीलदार गिड़ा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2017 मय वाद खारिज की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। (खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ——————) रूपये ———————— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का —————— अदा करें। बसबत मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 20 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर